रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262790 CG-DL-E-01052025-262790

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1901]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947

No. 1901] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025.

का.आ.1944.(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध बिहार राज्य के अरिया, सहरसा, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत होंगे, अर्थात :—

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 75;
- (iv) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- (v) धारा 82 और धारा 83।

[फा.सं.एस—38013 / 04 / 2024—एसएस-l] आलोक मिश्रा,संयुक्त सचिव,

2866 GI/2025 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2025

S.O. 1944(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2025 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force in the entire area of the Araria, Saharsa, Aurangabad, Banka, East Champaran and Gopalganj districts in the State of Bihar, namely:—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 75;
- (iv) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (v) sections 82 and 83.

[F.No. S-38013/04/2024-SS-I]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.